>

Title: Need to streamline the process for sanctioning loans to unemployed youths being provided by the banks under Pradhan Mantri Rozgar Yojna.

श्री इज्यराज सिंह (कोटा): प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत बेरोजगार युवकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें सरकारी बैंकों से लोन दिए जाने का प्रावधान है । इस प्रक्रिया के अंतर्गत जिला उद्योग केन्द्र उपरोक्त योजना के तहत बेरोजगार युवकों से आवेदन प्राप्त करते हैं एवं सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद आवेदनकर्ता को जिले के किसी बैंक से लोन देने हेतु बैंकों को अनुरोध किया जाता है, परंतु मैं बताना चाहता हूं कि जिन बैंकों को लोन देने के लिए अनुरोध किया जाता है वे बैंक लोन नहीं देते हैं और किसी अन्य बैंकों से लोन प्राप्त करने के लिए कहते हैं । इस तरह से युवकों को लोन के लिए बैंकों के अनेक चक्कर काटने पड़ते हैं एवं मेरे संसदीय क्षेत्रों में बताया गया कि बैंक युवकों से लोन देने के लिए सिक्यूरिटी मांगते हैं जो नियमों के खिलाफ है । बैंकों की मनमानी के कारण यह योजना कारगर रूप नहीं ले पा रही है एवं युवकों में बेरोजगारी बढ़ रही है ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो बैंक मनमानी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए एवं प्रधान मंत्री रोजगार योजना को सफल बनाने के लिए जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जिन युवकों को जिन बैंकों से लोन देने का अनुरोध किया है उसका सख्ती से पालन किया जाए ।